एम.टी.टी.–053
अनुवाद : भाषिक और सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ
सत्रीय कार्य

कार्यक्रम कोड : पी.जी.डी.टी.
पाठ्यक्रम कोड : एम.टी.टी.–053
सत्रीय कार्य कोड : एम.टी.टी.–053/टीएमए/2023–24
अधिकतम अंक : 100

---

1. भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विस्तृत चर्चा कीजिए। 10

2. भाषा प्रयुक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए। 10

3. बहुभाषिक समाज में अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। 10

4. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के हिंदी/अंग्रेजी पर्याय लिखिए : 10
amplifier, epiderm, angle, deploy, sundry, संकेतक, विलयन, स्थानापन्न, जमापत्र, बीजक

5. नीचे दिए गए प्रश्न–पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए : 10

MASTER OF ARTS (HISTORY)
Term-End Examination
MHI-03 : HISTORIOGRAPHY

Time : 3 hours Maximum Marks : 100 (Weightage : 70%)

Note : Answer any five questions in about 500 words each. Attempt at least two questions from each section. All questions carry equal marks.

SECTION - A

1. What is objectivity? Discuss the critique of objectivity. 20
2. Discuss the early traditions of history writing in China. How did Confucius contribute in its development ? 20
3. Write a note on Arabic history writing tradition. 20
4. What do you understand by Annales school ? Discuss its contribution in history-writing. 20
5. Write short notes on any two of the following in about 250 words each : 10+10
(a) Generalisation in history.
(b) Prasastis and Charitas
(c) Official Histories of Akbar's reign.
(d) History of tribal movements.

SECTION - B

6. Define racism. What are the different perspectives for the study of racism in modern times ? 20
7. Write an essay on colonial historiography. 20
8. Give a brief account of writings on history from below in the Indian context. 20
9. How did the communal view of Indian history evolve? Provide a critique of it. 20
10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each : 10+10
(a) Local History
(b) Rankean tradition of history writing.
(c) Feudalism debate among Indian historians.

(d) History of Environment and Science.

6. निम्नलिखित में से प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए चार–चार शब्द बनाइए। 5
कु–, अन–, निः–, अति–, अनु–

7. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रत्यय का प्रयोग करते हुए चार–चार शब्द बनाइए। 5
–आई, –आन, –ता, –ई, –आलू

8. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए : 10x2=20

A) The government has given itself a 90-day breather to implement transparency provisions under the Lokpal law and has set September 15 as the deadline for government servants to file their assets and liabilities declaration.

Under the Lokpal law, all government servants irrespective of their rank will have to declare their assets and liabilities every year.

The assets declarations for central government employees will be put in public domain.

Government sources said orders were issued for giving officials some more time since conduct rules for different services and ranks were yet to be finalized in light of the suggestions received from various cadre controlling authorities.

On its part, the Department of Personnel and Training (DoPT) has laid down the process and finalized the ground rules to be followed by public servants in this regard.

The Lokpal and Lokayukta Act 2013 had made it mandatory for every public servant to make the annual declaration and not just senior officials, as required under existing provisions.

Under rules notified by DoPT last week, the competent authority would have discretion to exempt public servants from declaring assets valued at less than four months' basic salary or Rs. 2 lakh.

Government officials said the exemption clause had been incorporated so that the exercise to improve transparency did not end up harassing public servants.

The DoPT also has adapted declaration forms for assets and liabilities filed by candidates in Lok Sabha and assembly elections to enlarge the scope of the forms.

'The original version of the forms left room for officials to provide vague information or skip certain information. This would not be possible in the new formats,' a government official said, pointing to provisions that require officials to declare the weight and value of jewellery owned by them, spouse and dependents.

The practice of government officials declaring their assets – and information about their immovable assets being made public – is only a couple of years old.

B) Loni and Mandoli situated on the out-skirts of Delhi are at great risk of being permanently damaged by toxins released from e-waste, a city-based environmental organization has found.

According the Toxic Link's report 'Impact of E-waste Recycling on Water and Soil', toxic elements like mercury, lead and zinc along with acids and chemicals released during e-waste recycling are contaminating soil and water in the surrounding areas of Delhi.

After laboratory testing of soil and water samples, the report found water and soil contaminated with heavy metals and other contaminants.

Both Loni and Mandoli have multiple recycling units engaged in hazardous processes for recovery of materials from e-waste.

"It was found that both sites discharge their effluents into open lands in the absence of drains. They also dispose of their solid waste in open lands, while most residual matter is disposed by open burning causing severe damage to the environment," Programme Coordinator of Toxics Link, Prashant Rajankar said.

Drinking water contains exorbitant amount of toxic metal at both the locations. At Loni, some samples of water reveal mercury level as high as 20 times the prescribed limit. The level of zinc in a sample was 174 times higher at Mandoli.

"Increased amount of toxic elements are clear indicator that water at both the places is not fit for drinking. Toxic metals such as lead and zinc slowly damage vital organs and also reduce the IQs and understanding capabilities of children," Rajankar said.

Similarly, soil samples suggest that the soil characteristics have changed significantly. The findings also show lead level in soil at Loni to be very high, with one sample as high as 147 times the prescribed limit. At Mandoli, lead level in one of the samples is 102 times higher than the prescribed limit.

9. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए : 10x2=20

क) हमारे देश में अनियोजित शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण के नाम पर नियम–कानूनों के खुले उल्लंघन की इजाजत दी जाती है। अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों का विकास इसकी जीती–जागती मिसाल है। लगभग हर शहर में ऐसी अनधिकृत कॉलोनियाँ उभर आई हैं जो भ्रष्ट अफसरों और वोट के लिए चिंतित राजनेताओं की मिलीभगत की देन है। कई बार तो ऐसी रिहायशी कॉलोनियों में छोटे–छोटे बाजार भी बन जाते हैं या फिर संकरी सड़कों पर दुकानें खुल जाती हैं जो अक्सर दुर्घटना का कारण बनती हैं। जब कभी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती की नौबत आती है तो एक किस्म का जनांदोलन खड़ा हो जाता है, जिसे पूरा राजनीतिक संरक्षण मिलता है। जनता का यही दबाव कॉलोनियों को नियमित करने का आधार बनता है। न्यायपालिका ने न जाने कितनी बार अवैध कॉलोनियों के निर्माण

पर सरकारों को फटकार लगाई, लेकिन आम आदमी के हितों का हवाला देकर उनकी अनदेखी ही करना उचित समझा गया। इस चिंताजनक सिलसिले को समाप्त होना ही चाहिए। यह विचित्र है कि एक ओर हम भारत को विकसित देश बनाने की कल्पना करते हैं तथा दूसरी ओर नियम–कानूनों के उल्लंघन के कारण समाज में अराजक स्थितियाँ भी उत्पन्न करते जा रहे हैं। वास्तव में नियम–कानूनों के साथ अनुशासन को एक सामाजिक संस्कार के रूप में अपनाकर ही हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।

ख) भाषा, व्यक्ति के भावों–विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। यह समाज में प्रतिफलित होती है। भाषाविज्ञान का संबंध भाषा से है और वह भाषा को दो दृष्टियों से देखता है। एक दृष्टि शुद्ध भाषाविज्ञान से संबंधित है जो यह बताती है कि भाषा क्या है, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है और भाषा–संरचना संबंधी उसके नियम क्या हैं, उसकी क्षमता क्या है। इस दृष्टि का आधार यह है कि भाषा समाज में प्रतिफलित होने पर भी सामाजिक संदर्भों से मुक्त है। यह वस्तुतः विशुद्ध रूप से भाषा के रचना प्रकार से संबंधित है। जबकि भाषाविज्ञान में भाषा को देखने संबंधी दूसरी दृष्टि का आधार भाषा का व्यावहारिक पक्ष है। समाजभाषाविज्ञान के नाम से परिचित भाषाविज्ञान की इस उपशाखा के अनुसार भाषा को अपने समस्या वैविध्य में देखने का प्रयास किया है। समाजभाषाविज्ञान में यह माना जाता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रादुर्भाव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार होता हे। भाषा के ये विभिन्न रूप वस्तुतः भाषा के यथार्थ एवं वास्तविक रूप हैं। भाषा–प्रयुक्ति का संबंध भाषाविज्ञान की इसी दृष्टि से है। इस दृष्टिकोण से यह बोध होता है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, भाषा–प्रयोक्ता भाषा से क्या काम लेते हैं। विविध स्थितियों एवं विषयों में भाषा–व्यवहार की एक निश्चित परिपाटी होती है, जो समान रूप से स्वीकृत होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार में जाने–अनजाने इस निश्चित परिपाटी का पालन करता है। इसी के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट अथवा व्यवहार क्षेत्र बनते हैं। इन्हीं प्रयोगों अथवा व्यवहार–क्षेत्रों से भाषा में प्रयुक्ति की संकल्पना का उद्‌भव हुआ।

*****

एम.टी.टी.- 053
अनुवाद : भाषिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ

कार्यक्रम कोड : पी.जी.डी.टी.
पाठ्यक्रम कोड : एम.टी.टी.-053
सत्रीय कार्य कोड : एम.टी.टी.-053/ टीएमए / 2023-24

अस्वीकरण/विशेष नोट: ये सत्रीय कार्य में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर/समाधान के नमूने मात्र हैं। ये नमूना उत्तरS/समाधान निजी शिक्षक/शिक्षक/लेखकों द्वारा छात्र की सहायता और मार्गदर्शन के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि वह दिए गए प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है। हम इन नमूना उत्तरों की 100% सटीकता का दावा नहीं करते हैं क्योंकि ये निजी शिक्षक/शिक्षक के ज्ञान और क्षमता पर आधारित हैं। सत्रीय कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के संदर्भ के लिए नमूना उत्तरों को मार्गदर्शक/सहायता के रूप में देखा जा सकता है। चूंकि ये समाधान और उत्तर निजी शिक्षक/शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए त्रुटि या गलती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी चूक या त्रुटि के लिए बहुत खेद है, हालांकि इन नमूना उत्तरों / समाधानों को तैयार करते समय हर सावधानी बरती गई है। किसी विशेष उत्तर को तैयार करने से पहले और अप-टू-डेट और सटीक जानकारी, डेटा और समाधान के लिए कृपया अपने स्वयं के शिक्षक/शिक्षक से परामर्श लें। छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक अध्ययन सामग्री को पढ़ना और देखना चाहिए।

1. भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विस्तृत चर्चा कीजिए।

भाषा की प्रकृति और स्वरूप की चर्चा

भाषा, मानव समाज की एक महत्वपूर्ण प्राधिकृतिकता है, जो व्यक्ति और समाज के बीच संवाद का माध्यम होता है। यह एक रूप की स्वभाविक कौशल है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को संचालित करता है। भाषा की प्रकृति और स्वरूप को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे संवाद कौशल को समझने और सुधारने में मदद कर सकता है।

भाषा का स्वरूप एक बहुत ही व्यापक और गहरा विषय है, जिसमें कई प्रकार की जातियाँ और उपभाषाएँ शामिल हैं। इसलिए, हम भाषा की प्रकृति और स्वरूप की चर्चा करने के लिए कुछ मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

1. **भाषा की प्रकृति:**
    - **भाषा का मूल उद्देश्य:** भाषा का मूल उद्देश्य है व्यक्ति और समाज के बीच संवाद को संचालित करना। यह ज्ञान, विचार और भावनाओं को आपसी रूप से साझा करने का माध्यम होता है।
    - **साधारण और विशेष भाषा:** भाषा के साधारण और विशेष रूप होते हैं। साधारण भाषा व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोग होती है, जबकि विशेष भाषा किसी विशेष क्षेत्र या ज्ञान के अंदर होती है, जैसे कि वैज्ञानिक भाषा, कानूनी भाषा आदि।

- **भाषा के लक्षण:** भाषा के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि शब्द, वाक्य, वर्णमाला, व्याकरण और स्वरूप। ये लक्षण भाषा के स्वरूप की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. **भाषा के घटक:**

- **शब्द:** भाषा का मूख्य घटक शब्द होता है, जो व्यक्ति के विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग होते हैं। शब्द ध्वनियों के संघटित रूप होते हैं जो भाषा को गठित करते हैं।
- **वाक्य:** शब्दों का संयोजन वाक्यों का निर्माण करता है। वाक्य भाषा के माध्यम से संवाद को पूरा करते हैं और एक निश्चित संवाद का संकेत करते हैं।
- **वर्णमाला:** वर्णमाला भाषा के वर्णों का संगठन होता है। वर्णमाला भाषा के ध्वनियों के संगठन को दर्शाती है और वर्णों की मूल इकाइयों को प्रकट करती है।
- **व्याकरण:** व्याकरण भाषा के नियमों और संरचना का अध्ययन करता है। यह वाक्यों की सही रचना और प्रयोग के नियमों को समझने में मदद करता है।

3. **भाषा का विकास:**

- भाषा का विकास एक निरंतर प्रक्रिया होता है, जिसमें नई शब्दों का निर्माण होता है, और व्याकरण और उच्चारण में परिवर्तन होता है। यह विचारों के साथ जुड़े तात्त्वों के परिपर्णता का परिचय कराता है।
- **भाषा के इतिहास:** हर भाषा का एक इतिहास होता है, जो उसके विकास और परिवर्तन को दर्शाता है। इतिहास के माध्यम से हम भाषा के प्रकृति और स्वरूप की समझ में मदद करते हैं।

4. **भाषा की प्रकृति और स्वरूप के प्रमुख पहलु:**

- **भाषा का अभिवादन:** भाषा का अभिवादन उसके वर्णमाला, व्याकरण, और शब्दों के प्रयोग का तरीका होता है। यह उसकी व्यक्तिगत पहचान को दर्शाता है और उसे एक विशेष समृद्धि देता है।
- **भाषा का सामाजिक आयाम:** भाषा का सामाजिक आयाम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भाषा के उपयोग को सामाजिक संदर्भ में दर्शाता है। सामाजिक आयाम भाषा के प्रयोग में सामाजिक और सांस्कृतिक परिपर्णता को प्रकट करता है।
- **भाषा का मान्यता और प्राधान्य:** भाषा का मान्यता और प्राधान्य भी एक महत्वपूर्ण पहलु है, क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है।

कुछ भाषाएँ विशेष क्षेत्रों में मान्यता और प्राधान्य रखती हैं, जबकि दूसरी भाषाएँ सामाजिक मान्यता के लिए प्रमुख होती हैं।

5. **भाषा की प्रकृति और स्वरूप का महत्व:**
    - **समृद्धि का साधन:** भाषा की समझ और अच्छे भाषा कौशल व्यक्ति की समृद्धि में मदद करते हैं। यह व्यक्ति को सोचने के लिए और अपने विचारों को अच्छी तरह से साझा करने के लिए योग्य बनाता है।
    - **सामाजिक संबंधों का निर्माण:** भाषा सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह समाज के अंदर समृद्धि की दिशा में मदद करती है। सही भाषा का प्रयोग करने से लोग अधिक समझदार और सहमत रहते हैं।
    - **सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण:** भाषा सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसके माध्यम से सांस्कृतिक ज्ञान और पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण होता है।
6. **भाषा की विविधता:**
    - भाषा की विविधता दुनिया भर में देखी जा सकती है, जिसमें विभिन्न भाषाएँ, उपभाषाएँ, और डायलेक्ट्स शामिल हैं। इस विविधता में हमें भाषा की रिच और गहरी प्रकृति का पता चलता है, जो भाषा के स्वरूप को अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

समापन रूप में, भाषा की प्रकृति और स्वरूप हमारे समझ, संवाद, और सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है और हमारे सामाजिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसलिए, हमें भाषा की प्रकृति और स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से भाषा का प्रयोग कर सकें और अपने संवादों को मजबूत बना सकें।

2. भाषा प्रयुक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए।

भाषा प्रयुक्ति एक महत्वपूर्ण और गहरा विषय है जो हमारे दृष्टिकोन की ओर से विचार करने की प्रेरणा देता है। यह शब्दों, वाक्यों और भाषा के नियमों का अध्ययन करने के माध्यम से हमें भाषा का सही और प्रभावी उपयोग कैसे करना चाहिए सिखाता है। भाषा प्रयुक्ति का अर्थ है भाषा का उच्च या मानक स्तर पर प्रयोग करना जिससे अनुभवकर्ता को स्पष्ट और सही संदेश मिल सके। इस लेख में, मैं भाषा प्रयुक्ति के महत्व को समझाऊंगा और उदाहरणों के साथ दिखाऊंगा कि सही भाषा प्रयोग से कैसे हम समाज में संपर्क को सुधार सकते हैं।

भाषा का महत्व

भाषा, हमारी सोचने, विचारने और व्यक्ति करने का माध्यम होती है। यह एक सामाजिक संवेदनशीलता की निगाह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम अपनी भावनाओं और

विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। सही भाषा प्रयोग से हम अपने विचारों को स्पष्ट और सुज्ञात कर सकते हैं, जिससे अन्य लोगों को हमारी बातों को समझने में आसानी होती है। इससे संवादित होने की क्षमता में सुधार होता है और साथ ही सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं।

सही भाषा प्रयोग से आपसी संबंध भी सुधरते हैं। किसी भी संबंध में स्पष्टता और सच्चाई का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सही भाषा प्रयोग करेंगे तो हम स्पष्ट और सच्चे संबंध बना सकते हैं। जब हम सही भाषा में बातचीत करते हैं, तो हमारी बातों में झुकाव नहीं आता और हम सच्चाई के साथ संबंध बना सकते हैं।

भाषा प्रयुक्ति के उदाहरण

1. **व्यापार में सही भाषा प्रयोग:** व्यापार में सही भाषा प्रयोग का महत्व अत्यधिक है। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं - एक उद्यमिता अपने उत्पाद की प्रशंसा के लिए विज्ञापन बनाना चाहती है। अगर उसने सही भाषा का प्रयोग नहीं किया, तो उसका संदेश स्पष्ट नहीं होगा और उसकी प्रशंसा का परिणामस्वरूप उत्पाद की बिक्री में कमी हो सकती है। विज्ञापन में सही भाषा प्रयोग से संदेश स्पष्ट और प्रभावी होता है, जिससे उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है।
2. **शिक्षा में सही भाषा प्रयोग:** शिक्षा क्षेत्र में भी सही भाषा प्रयोग का महत्व है। शिक्षकों को छात्रों को समझाने के लिए सामान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर वे अत्यधिक जटिल और कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो छात्र समझने में असमर्थ महसूस करेंगे। इसलिए, समझाने के लिए सामान्य और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्र सहज महसूस करें और अध्ययन में सफल हो सकें।
3. **साहित्य में सही भाषा प्रयोग:** साहित्य क्षेत्र में भी सही भाषा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक लेखक को अपनी कहानी को पाठकों के साथ साझा करने के लिए सही शब्दों का चयन करना चाहिए। अगर वह अत्यधिक जटिल और संवेदनशील भाषा का प्रयोग करेगा, तो पाठक उसकी कहानी को समझने में समर्थ नहीं होंगे। सही और सरल भाषा का प्रयोग करके लेखक पाठकों के साथ अच्छे संवाद में सक्षम होते हैं और उनकी कहानी पाठकों के दिलों में बस जाती है।
4. **सामाजिक संवाद में सही भाषा प्रयोग:** सामाजिक संवाद में सही भाषा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने सामाजिक संवाद में सही और समय-समय पर समाज के नियमों का पालन करते हैं, तो समाज में शांति और समरसता बनी रहती है। अगर हम गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, तो समाज में असमंजस और असन्तुलन उत्पन्न हो सकता है।
5. **राजनीति में सही भाषा प्रयोग:** राजनीति में भी सही भाषा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक नेता को अपने भाषणों में समय-समय पर गांव के लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। वह उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। अगर नेता सही भाषा में बातचीत करेंगे, तो उनके समर्थन में वृद्धि होगी।

समापन

सही भाषा प्रयोग का महत्व अत्यधिक है। यह हमें सही संदेश पहुंचाने में मदद करता है और हमारे संबंधों में स्पष्टता और सच्चाई लाता है। इसलिए हमें समय-समय पर अपनी भाषा का परीक्षण करना चाहिए ताकि हम सही भाषा प्रयोग कर सकें और समाज में समरसता और शांति बनी रहे।

3. बहुभाषिक समाज में अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए।

बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व

प्रस्तावना:

भाषा मानव संवेदना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समाज में संचार के लिए आवश्यक है। विश्व में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं और इसलिए अनुवाद का महत्व बढ़ जाता है, खासकर उन समाजों में जहाँ बहुभाषिकता का अभ्युदय हुआ है। इस लेख में, हम जानेंगे कि बहुभाषिक समाजों में अनुवाद का महत्व क्या है और यह कैसे समृद्धि और समरसता की दिशा में मदद कर सकता है।

1. **सांस्कृतिक विविधता की समरसता:**

बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व सांस्कृतिक विविधता की समरसता में है। विभिन्न भाषाओं में लिखी गई साहित्य, कथा, गीत, नृत्य, और अन्य सांस्कृतिक अंग अनुवाद के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुँचते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को समझने और समरसता की भावना को बढ़ावा देता है। जब लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को दूसरों से साझा करते हैं, तो इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है।

2. **व्यापारिक और आर्थिक महत्व:**

बहुभाषिक समाज में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में अनुवाद का महत्व अत्यधिक है। व्यापारिक संपर्कों में भाषा का अभिप्राय ठीक से समझाने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है। अनुवादक व्यापारिक प्रस्तुतियों, साक्षात्कारों, विपणि, आर्थिक रिपोर्टों, और अन्य आर्थिक दस्तावेजों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करके व्यापारिक संबंधों को मजबूती से बढ़ाते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बेहतर समझौते हो सकते हैं और व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार हो सकता है।

3. **शिक्षा के क्षेत्र में महत्व:**

बहुभाषिक समाज में शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद का महत्व बढ़ता है। विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में विभिन्न देशों के छात्र आते हैं। इन छात्रों को विशेष भाषा में पढ़ाई प्राप्त करने का सुयोग मिलता है, लेकिन यह अवस्था उनके मातृभाषा के अनुवाद में स्थिति बना सकती है। अनुवादकों की सहायता से इन छात्रों को पठनीय विषयों में शिक्षा मिल सकती है और उनकी शिक्षा में सुधार हो सकता है।

4. **राजनीति और विश्व सम्बन्ध:**

राजनीति और विश्व सम्बन्धों में अनुवाद का महत्व भी अत्यधिक है। अन्य देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं, कानूनी दस्तावेज़ों, और अन्य संबंधित जानकारी को समझने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है। यह राजनीतिक नेताओं, निर्णयकर्ताओं, और विचारकों के बीच संवाद को सुखद और समझदार बनाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध मजबूत हो सकते हैं।

5. **सामाजिक समरसता और समाज में समाजशास्त्रिक उत्थान:**

अनुवाद का महत्व बहुभाषिक समाज में सामाजिक समरसता की ओर भी मुख करता है। जब एक समाज विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकता है, तो यह सामाजिक समरसता की भावना को बढ़ाता है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों को एक-दूसरे की भावनाओं और सोच को समझने का मौका मिलता है, जो उनमें समाजशास्त्रिक उत्थान को प्रोत्साहित करता है।

6. **अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संचार:**

अनुवाद का महत्व अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी है। विश्व में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और यह संचार की स्वाभाविक विशेषता है। अनुवादकों के कारण विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोग एक-दूसरे के साथ बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं और सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं।

संक्षेप:

इस प्रकार, बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व अत्यधिक है। यह समाज में सांस्कृतिक समरसता, व्यापारिक और आर्थिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, राजनीतिक और विश्व सम्बंधों में संचार, सामाजिक समरसता और समाजशास्त्रिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवाद के माध्यम से भाषा का संवाद बना रहता है जो समृद्धि, समरसता, और सामाजिक संबंधों में मदद करता है।

4. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के हिंदी /अंग्रेजी पर्याय लिखिए :

amplifier, epiderm, angle, deploy, sundry,संकेतक, विलयन, स्थानापन्न, जमापत्र, बीजक

1. Amplifier - प्रशंसक / संवादक (Fan / Speaker)
2. Epiderm - त्वचा / स्किन (Skin)
3. Angle - कोण / डिग्री (Angle / Degree)
4. Deploy - तैनात करना / नियुक्ति देना (Deploy / Appoint)
5. Sundry - विविध / अनेक (Various / Many)
6. संकेतक - Symbolic

7. विलयन - Fusion

8. स्थानापन्न - Installed

9. जमापत्र - Receipt

10. बीजक - Seeder

5. नीचे दिए गए प्रश्न-पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए :

MASTER OF ARTS (HISTORY)

Term-End Examination

MHI-03 : HISTORIOGRAPHY

Time : 3 hours **Maximum Marks : 100 (Weightage : 70%)**

Note : Answer any five questions in about 500 words each. Attempt at least two questions from each section. All questions carry equal marks.

SECTION – A

1. What is objectivity? Discuss the critique of objectivity.

2. Discuss the early traditions of history writing in China. How did Confucius contribute in its development ?

3. Write a note on Arabic history writing tradition.

4. What do you understand by Annales school ? Discuss its contribution in history-writing.

5. Write short notes on any two of the following in about 250 words each :

(a) Generalisation in history.

(b) Prasastis and Charitas

(c) Official Histories of Akbar's reign.

(d) History of tribal movements.

SECTION – B

6. Define racism. What are the different perspectives for the study of racism in modern times ?

7. Write an essay on colonial historiography.

8. Give a brief account of writings on history from below in the Indian context.

9. How did the communal view of Indian history evolve? Provide a critique of it.

10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each :

(a) Local History

(b) Rankean tradition of history writing.

(c) Feudalism debate among Indian historians.

(d) History of Environment and Science.

मास्टर ऑफ आर्ट्स (इतिहास)

टर्म-एंड परीक्षा

एमएचआई-03: हिस्टोरियोग्राफी

समय: 3 घंटे अधिकतम अंक: 100 (वजन: 70%)

नोट: कृपया किसी भी पांच प्रश्नों का उत्तर लिखें, प्रत्येक प्रश्नों को लगभग 500 शब्दों में। कम से कम दो प्रश्नों का प्रयास सभी खंडों से करें। सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं।

खंड – ए

1. वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता की समीक्षा पर चर्चा करें।
2. चीन में इतिहास लेखन की प्रारंभिक परंपराओं पर चर्चा करें। कैसे कोंफुशियस ने इसके विकास में योगदान किया?
3. अरबी इतिहास लेखन पर एक नोट लिखें।
4. आनाल स्कूल से आप क्या समझते हैं? इसके इतिहास लेखन में इसके योगदान पर चर्चा करें।
5. निम्नलिखित में से किसी भी दो पर लघु नोट लिखें, प्रत्येक में लगभग 250 शब्द: (a) इतिहास में सामान्यीकरण। (b) प्रशस्तिस और चरितास। (c) अकबर के शासन के आधिकारिक इतिहास। (d) जनजाति आंदोलन का इतिहास।

खंड – ब

6. जातिवाद की परिभाषा दें। आधुनिक समय में जातिवाद का अध्ययन के लिए विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या हैं?
7. उपनिवेशी इतिहास लेखन पर निबंध लिखें।
8. भारतीय संदर्भ में नीचे से इतिहास के लेखन पर संक्षेप में विवरण दें।
9. भारतीय इतिहास के सांप्रदायिक दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ? इसकी समीक्षा प्रदान करें।

10. निम्नलिखित में से किसी भी दो पर लघु नोट लिखें, प्रत्येक में लगभग 250 शब्द: (a) स्थानीय इतिहास (b) रैंकियन इतिहास लेखन की परंपरा। (c) भारतीय इतिहासकारों के बीच सामान्य क्रिया वाद। (d) पर्यावरण और विज्ञान का इतिहास।

6. निम्नलिखित में से प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए चार-चार शब्द बनाइए।

कु-, अन-, निः-, अति-, अनु-

1. **कु-:**
   - कुशल (कुशलता से संबंधित)
   - कुरूप (दोषग्रस्त)
   - कुशाग्र (बहुत तेज़)
2. **अन-:**
   - अनर्थ (अर्थहीन)
   - अनुभव (अनुभव करना)
   - अन्याय (न्याय के खिलाफ)
3. **निः-:**
   - निःसंदेह (बिना संदेह के)
   - निःशब्द (बिना शब्द के)
   - निःसंका (बिना संका के)
4. **अति-:**
   - अतिरेक (अधिक से अधिक मात्रा में)
   - अतिवृष्टि (अधिक से अधिक वर्षा)
   - अतिसार (अधिक से अधिक उत्साह)
5. **अनु-:**
   - अनुशासन (शासन का अनुसरण)
   - अनुग्रह (कृपा)
   - अनुभव (अनुभव करना)

7. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रत्यय का प्रयोग करते हुए चार-चार शब्द बनाइए।

"आई, -आन, -ता, -ई, -आलू

1. आई: आईकरनी, आईस्त्री, आईसी, आईश्वर्य
2. -आन: जीवान, साखीआन, प्रेरणाआन, प्रेरणाआनंद
3. -ता: शक्तिता, समृद्धिता, खुशियता, साहसिता
4. -ई: विकल्पी, संवेदनशीली, प्रियसी, साहित्यशीली
5. -आलू: गोभीआलू, आलूबूखारा, बेसनीआलू, आलूप्याज़

8. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए :

A) The government has given itself a 90-day breather to implement transparency provisions under the Lokpal law and has set September 15 as the deadline for government servants to file their assets and liabilities declaration.

Under the Lokpal law, all government servants irrespective of their rank will have to declare their assets and liabilities every year.

The assets declarations for central government employees will be put in public domain.

Government sources said orders were issued for giving officials some more time since conduct rules for different services and ranks were yet to be finalized in light of the suggestions received from various cadre controlling authorities.

On its part, the Department of Personnel and Training (DoPT) has laid down the process and finalized the ground rules to be followed by public servants in this regard.

The Lokpal and Lokayukta Act 2013 had made it mandatory for every public servant to make the annual declaration and not just senior officials, as required under existing provisions.

Under rules notified by DoPT last week, the competent authority would have discretion to exempt public servants from declaring assets valued at less than four months' basic salary or Rs. 2 lakh.

Government officials said the exemption clause had been incorporated so that the exercise to improve transparency did not end up harassing public servants.

The DoPT also has adapted declaration forms for assets and liabilities filed by candidates in Lok Sabha and assembly elections to enlarge the scope of the forms.

'The original version of the forms left room for officials to provide vague information or skip certain information. This would not be possible in the new formats,' a government official said, pointing to provisions that require officials

to declare the weight and value of jewellery owned by them, spouse and dependents.

The practice of government officials declaring their assets – and information about their immovable assets being made public – is only a couple of years old.

सरकार ने खुद को लोकपाल कानून के तहत पारदर्शिता प्रावधानों को लागू करने के लिए 90-दिन की समयवश दी है और सरकारी सेवकों को उनकी संपत्ति और देयता घोषणा करने की समाप्ति की तारीख के रूप में 15 सितंबर को मंजूरी दी है।

लोकपाल कानून के तहत, सभी सरकारी सेवकों को चाहे वह उनकी रैंक हो, हर साल अपनी संपत्ति और देयता की घोषणा करनी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संपत्ति की घोषणाएँ सार्वजनिक डोमेन में डाली जाएंगी। सरकारी स्रोतों के अनुसार, अधिक समय देने के लिए आदेश जारी किए गए थे क्योंकि विभिन्न कैडर कंट्रोलिंग अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के प्रकार के प्रकार सेवा और रैंकों के लिए नियम अभी तक संपन्न नहीं किए गए थे।

उसके हिस्से के रूप में, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में लोकसेवकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रिया को निर्धारित किया और उसके लिए अनुदेश निर्धारित किए हैं। 2013 में बनाए गए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ने हर लोकसेवक को वार्षिक घोषणा करने को अनिवार्य बनाया था और केवल मौजूदा प्रावधानों के तहत आवश्यक है।

पिछले सप्ताह डीओपीटी द्वारा सूचना के अनुसार निर्धारित नियमों के तहत, प्राधिकृत प्राधिकारी को यह विवेकाधीनता होगी कि क्या वह सार्वजनिक सेवकों को छोटे से कम राशि या 2 लाख रुपये की मूल वेतन के मौद्रिक मूल्य वाली संपत्ति की घोषणा करने से मुक्ति प्रदान करेगा। सरकारी अधिकारी ने कहा कि छूट का धारा शामिल की गई थी ताकि पारदर्शिता में सुधार करने का प्रयास सार्वजनिक सेवकों को परेशान न करे। डीओपीटी ने संपत्ति और देयता की घोषणा पत्रिकाओं को भी अनुकूलित किया है जो लोकसभा और विधान सभा चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाते हैं, ताकि फार्म की व्यापकता बढ़ाई जा सके। 'फॉर्मों का मूल संस्करण अधिकारियों को वेबहीन जानकारी प्रदान करने की संभावना दे देता था या कुछ जानकारी को छोड़ देने की। इसमें नई स्वरूप में यह संभव नहीं होगा,' एक सरकारी अधिकारी ने कहा, उन्होंने उनके द्वारा दिखाए गए प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए कि जो उनके पास ज्वेलरी की वजन और मूल्य की घोषणा करने की आवश्यकता है, जो उनके पास है, पति और निर्भरणी के पास। सरकारी अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्ति की घोषणा करने का अभ्यास - और उनकी अमूर्त संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जाने वाली है - सिर्फ कुछ साल पुराना है।

B) Loni and Mandoli situated on the out-skirts of Delhi are at great risk of being permanently damaged by toxins released from e-waste, a city-based environmental organization has found.

According the Toxic Link's report 'Impact of E-waste Recycling on Water and Soil', toxic elements like mercury, lead and zinc along with acids and chemicals

released during e-waste recycling are contaminating soil and water in the surrounding areas of Delhi.

After laboratory testing of soil and water samples, the report found water and soil contaminated with heavy metals and other contaminants.

Both Loni and Mandoli have multiple recycling units engaged in hazardous processes for recovery of materials from e-waste.

"It was found that both sites discharge their effluents into open lands in the absence of drains. They also dispose of their solid waste in open lands, while most residual matter is disposed by open burning causing severe damage to the environment," Programme Coordinator of Toxics Link, Prashant Rajankar said.

Drinking water contains exorbitant amount of toxic metal at both the locations. At Loni, some samples of water reveal mercury level as high as 20 times the prescribed limit. The level of zinc in a sample was 174 times higher at Mandoli.

"Increased amount of toxic elements are clear indicator that water at both the places is not fit for drinking. Toxic metals such as lead and zinc slowly damage vital organs and also reduce the IQs and understanding capabilities of children," Rajankar said.

Similarly, soil samples suggest that the soil characteristics have changed significantly. The findings also show lead level in soil at Loni to be very high, with one sample as high as 147 times the prescribed limit. At Mandoli, lead level in one of the samples is 102 times higher than the prescribed limit.

दिल्ली के परिसर में स्थित लोनी और मंडोली इलाके इ-वेस्ट से जारी विषाक्ति के कारण स्थायी रूप से हानि होने के बड़े खतरे में हैं, एक शहर-स्थित पर्यावरण संगठन ने पाया है। टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट 'ई-वेस्ट पुनर्चक्रण का पानी और मृदा पर प्रभाव' के अनुसार, जैसे-जैसे ई-वेस्ट का पुनर्चक्रण हो रहा है, उसके दौरान मर्क्यूरी, लीड, और जिंक के साथ ही तेजाब और रसायन उसे परिसर की मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं।

मिट्टी और पानी के नमूनों के प्रयोगशाला परीक्षण के बाद, रिपोर्ट ने हवाई धातुओं और अन्य प्रदूषकों से प्रदूषित पानी और मिट्टी की खोज की। लोनी और मंडोली दोनों ही ई-वेस्ट से सामग्री की पुनर्चक्रण के खतरनाक प्रक्रियाओं में लिपटे हुए हैं।

"पाया गया कि दोनों स्थलों पर नालों की अनुपस्थिति में वे अपने विषाणुओं को खुली जगहों में डिस्चार्ज करते हैं। वे अपने ठोस कचरे को भी खुली जगहों में फैलाते हैं, जबकि अधिकांश बचा हुआ सामग्री खुले में जलाकर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है," टॉक्सिक लिंक के कार्यक्रम समन्वयक, प्रशांत राजांकर ने कहा।

पीने का पानी दोनों स्थलों पर विषाणु में अत्यधिक मात्रा में होता है। लोनी में, कुछ पानी के नमूने मर्क्यूरी का स्तर प्रेस्क्राइब किए गए सीमा के 20 गुना ज्यादा हैं। मंडोली में एक नमूने में जिंक का स्तर प्रेस्क्राइब किए गए सीमा के 174 गुना अधिक है।

"बढ़ी हुई विषाणु मात्रा यह स्पष्ट संकेत है कि दोनों स्थलों पर पीने के लिए जल उपयुक्त नहीं है। लीड और जिंक जैसे विषाणु धीरे-धीरे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचाते हैं और बच्चों की बुद्धि क्षमता को भी कम करते हैं," राजांकर ने कहा।

इसी तरह, मिट्टी के नमूने सुझाव देते हैं कि मिट्टी की विशेषताएँ बड़े परिवर्तन का सामना कर रही हैं। खोज के परिणाम इसे प्रेस्क्राइब किए गए सीमा के 147 गुना ज्यादा लीड का स्तर लोनी की मिट्टी में बहुत अधिक होने की दिखा रहे हैं, जबकि मंडोली में, एक नमूने में लीड का स्तर प्रेस्क्राइब किए गए सीमा के 102 गुना अधिक है।

9. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए :

क) हमारे देश में अनियोजित शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण के नाम पर नियम-कानूनों के खुले उल्लंघन की इजाजत दी जाती है। अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों का विकास इसकी जीती-जागती मिसाल है। लगभग हर शहर में ऐसी अनधिकृत कॉलोनियाँ उभर आई हैं जो भ्रष्ट अफसरों और वोट के लिए चिंतित राजनेताओं की मिलीभगत की देन है। कई बार तो ऐसी रिहायशी कॉलोनियों में छोटे-छोटे बाजार भी बन जाते हैं या फिर संकरी सड़कों पर दुकानें खुल जाती हैं जो अक्सर दुर्घटना का कारण बनती हैं। जब कभी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती की नौबत आती है तो एक किस्म का जनांदोलन खड़ा हो जाता है, जिसे पूरा राजनीतिक संरक्षण मिलता है। जनता का यही दबाव कॉलोनियों को नियमित करने का आधार बनता है। न्यायपालिका ने न जाने कितनी बार अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर सरकारों को फटकार लगाई, लेकिन आम आदमी के हितों का हवाला देकर उनकी अनदेखी ही करना उचित समझा गया। इस चिंताजनक सिलसिले को समाप्त होना ही चाहिए। यह विचित्र है कि एक ओर हम भारत को विकसित देश बनाने की कल्पना करते हैं तथा दूसरी ओर नियम-कानूनों के उल्लंघन के कारण समाज में अराजक स्थितियाँ भी उत्पन्न करते जा रहे हैं। वास्तव में नियम-कानूनों के साथ अनुशासन को एक सामाजिक संस्कार के रूप में अपनाकर ही हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।

भारत में अनियोजित शहरीकरण का प्रशासनिक और सामाजिक पहलु है। शहरीकरण नामक योजनाओं के बावजूद, नियमों और कानूनों की धारा के उल्लंघन की इजाजत दी जाती है। इसका परिणामस्वरूप, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, और अनधिकृत कॉलोनियों का विकास हो रहा है, जिसका परिणाम है कि अनधिकृत कॉलोनियों के लिए जनांदोलन हो रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

अवैध कॉलोनियों का विकास एक सामाजिक समस्या है जिसमें भ्रष्ट अफसरों और चिंतित राजनेताओं की सहायता की जाती है। यहाँ तक कि कुछ अवैध कॉलोनियों में छोटे-छोटे बाजार या असुरक्षित सड़कों पर दुकानें भी खुल जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। जब कभी प्रशासनिक सख्ती दिखाने की कोशिश की जाती है, तो इसके खिलाफ राजनीतिक विरोध भी उत्पन्न होता है, जिसे पूरा राजनीतिक संरक्षण मिलता है। जनता की दबाव डालने के परिणामस्वरूप, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रयास किया जाता है।

न्यायपालिका ने कई बार अवैध कॉलोनियों के निर्माण को निष्कासित करने के लिए सरकारों को फटकार लगाई है, लेकिन आम लोगों के हितों का उल्लंघन करते हुए उनकी अनदेखी होती है। इस चिंताजनक सिलसिले को समाप्त करने की आवश्यकता है।

यह आश्चर्यजनक है कि हम दोपहरी के बाद भारत को एक विकसित देश बनाने की बात करते हैं, और दूसरी ओर हम नियमों और कानूनों के उल्लंघन के कारण समाज में अराजक स्थितियाँ बढ़ा रहे हैं। वास्तव में, नियमों और कानूनों का पालन एक सामाजिक संस्कार के रूप में अपनाकर ही हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।

ख) भाषा, व्यक्ति के भावों-विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। यह समाज में प्रतिफलित होती है। भाषाविज्ञान का संबंध भाषा से है और वह भाषा को दो दृष्टियों से देखता है। एक दृष्टि शुद्ध भाषाविज्ञान से संबंधित है जो यह बताती है कि भाषा क्या है, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है और भाषा-संरचना संबंधी उसके नियम क्या हैं, उसकी क्षमता क्या है। इस दृष्टि का आधार यह है कि भाषा समाज में प्रतिफलित होने पर भी सामाजिक संदर्भों से मुक्त है। यह वस्तुत: विशुद्ध रूप से भाषा के रचना प्रकार से संबंधित है। जबकि भाषाविज्ञान में भाषा को देखने संबंधी दूसरी दृष्टि का आधार भाषा का व्यावहारिक पक्ष है। समाजभाषाविज्ञान के नाम से परिचित भाषाविज्ञान की इस उपशाखा के अनुसार भाषा को अपने समस्या वैविध्य में देखने का प्रयास किया है। समाजभाषाविज्ञान में यह माना जाता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रादुर्भाव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार होता हे। भाषा के ये विभिन्न रूप वस्तुत: भाषा के यथार्थ एवं वास्तविक रूप हैं। भाषा-प्रयुक्ति का संबंध भाषाविज्ञान की इसी दृष्टि से है। इस दृष्टिकोण से यह बोध होता है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, भाषा-प्रयोकता भाषा से क्या काम लेते हैं। विविध स्थितियों एवं विषयों में भाषा-व्यवहार की एक निश्चित परिपाटी होती है, जो समान रूप से स्वीकृत होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार में जाने-अनजाने इस निश्चित परिपाटी का पालन करता है। इसी के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट अथवा व्यवहार क्षेत्र बनते हैं। इन्हीं प्रयोगों अथवा व्यवहार-दृषेत्रों से भाषा में प्रयुक्ति की संकल्पना का उद्भव हुआ।

भाषा, व्यक्ति के भावों-विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। यह समाज में प्रतिफलित होती है। भाषाविज्ञान का संबंध भाषा से है और वह भाषा को दो दृष्टियों से देखता है। एक दृष्टि शुद्ध भाषाविज्ञान से संबंधित है जो यह बताती है कि भाषा क्या है, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है और भाषा-संरचना संबंधी उसके नियम क्या हैं, उसकी क्षमता क्या है। इस दृष्टि का आधार यह है कि भाषा समाज में प्रतिफलित होने पर भी सामाजिक संदर्भों से मुक्त है। यह वस्तुत: विशुद्ध रूप से भाषा के रचना प्रकार से संबंधित है। जबकि भाषाविज्ञान में भाषा को देखने संबंधी दूसरी दृष्टि का आधार भाषा का व्यावहारिक पक्ष है। समाजभाषाविज्ञान के नाम से परिचित भाषाविज्ञान की इस उपशाखा के अनुसार भाषा को अपने समस्या वैविध्य में देखने का प्रयास किया है। समाजभाषाविज्ञान में यह माना जाता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रादुर्भाव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार होता हे। भाषा के ये विभिन्न रूप वस्तुत: भाषा के यथार्थ एवं वास्तविक रूप हैं। भाषा-प्रयुक्ति का संबंध भाषाविज्ञान की इसी

दृष्टि से है। इस दृष्टिकोण से यह बोध होता है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, भाषा-प्रयोकता भाषा से क्या काम लेते हैं। विविध स्थितियों एवं विषयों में भाषा-व्यवहार की एक निश्चित परिपाटी होती है, जो समान रूप से स्वीकृत होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार में जाने-अनजाने इस निश्चित परिपाटी का पालन करता है। इसी के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट अथवा व्यवहार क्षेत्र बनते हैं। इन्हीं प्रयोगों अथवा व्यवहार-द्षेत्रों से भाषा में प्रयुक्ति की संकल्पना का उद्भव हुआ।